

17-11-17

पत्रावली पेश हुई। वकील शर्मा उपस्थित।
पत्रावली का अवलोकन किया तो शर्मा का
फैल हो चुकी है एवं काम मुकाम प्राप्त
भी प्रस्तुत नहीं किया है। इसीसे प्रकरण
रजिस्ट्रार यौग्य है इस पर वकील शर्मा
ने भी कोई आपत्ति नहीं की है अतः
काठ मुठ प्राप्त के आधार में प्रकरण
चलने योग्य नहीं होने से ट.प्र. प्राप्त
रजिस्ट्रार किया गया। पत्रावली फंसल
शुमार होकर दर्ज नम्बर से काम हो।
इस बाबत सम्बन्धित को सुचना
लक्ष्मीरामरी हो। आदेश नवल न्यायालय
में सुनाया गया।

रूप खण्ड अधिकारी
साँभर लोक